प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पंद्रह'

[9/12/2016]

प्रश्न सं. [क. 647]

परिशिष्ट

//कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड म0प्र0 //

क्रमांक/पुअ/भिण्ड/विस/ता0प्र0–647/ 08/16 दिनांक :– 30.11.16

प्रति,

संचालक (श्रीमान् अंजू पवन मदौरिया)
लोक शिक्षण, म0प्र0

विषय:– विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 647 दिनांक 09.12.16 के प्रश्नांश (ख) के उत्तर के संबंध में।

संदर्भ:– आपका फैक्स पत्र क्रमांक/शि.क./ए/विस/शीत/ता0 647/2016/2857, भोपाल, दिनांक 29.11.16 के पालन में।

—00—

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विधान सभा शीतकालीन सत्र 2016 के तारांकित प्रश्न क्र0 647 द्वारा माननीय विधायक श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह द्वारा श्री सुधीर त्रिपाठी संविदा शाला शिक्षक–2 पर भारतीय दण्ड सहिंता के अतर्गत कहा पर कौन सा प्रकरण कब पंजीवद्ध हुआ, किसके द्वारा करवाया गया, विवेचना किसके द्वारा कब की गई, अभी तक क्या कार्यवाही हुई, जानकारी चाही गई है। जानकारी निम्नानुसार है।

बिन्दु क्र0 (ख)– सुधीर त्रिपाठी संविदा शाला शिक्षक–2 शासकीय माध्यमिक विद्यालय मघईया पुरा के विरुद्ध थाना एण्डोरी में दो अपराध पंजीवद्ध है, अपराधों का विवरण निम्न है।

क्र.	अप.क्र	कायमी दि.	नाम फरि.	किसके द्वारा विवेचना की गई	क्या कार्यवाही
1	02/14 धारा 354ख,323 ईपीसी 3(1),11 एससी/एसटी एक्ट	09/01/14	श्रीमती रामसनेही पत्नी स्व. रामगोपाल जाटव उम्र 35 साल रडीपुरा	एसआई डिम्पल मौर्य थाना प्रभारी एण्डोरी	प्रकरण में चालान क्र 100/14 दिनांक 31/12/14 कता कर न्यायालय में पेश किया गया. मि.न. 34/15 दिनांक 23/01/15
2	12/15 धारा 174 आईपीसी	06/02/15	एसआई दलेल सिंह यादव थाना प्रभारी एण्डोरी	एएसआई जय सिंह यादव थाना एण्डोरी	प्रकरण में चालान क्रमांक 08/15 दिनांक 08/03/15 को कता कर न्यायालय में पेश किया मि.न. 275/15 दिनांक 22/05/15

बांछित जानकारी सादर प्रेषित है।

पुलिस अधीक्षक
जिला भिण्ड

प्रतिलिपि – श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर सूचनार्थ।
जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड की ओर सूचनार्थ

पुलिस अधीक्षक
जिला भिण्ड

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग (शाखा-1),
मंत्रालय, भोपाल